

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक प.12(44)पपा/2014

जयपुर, दिनांक 16 SEP 2016

आज्ञा


राजस्थान पशुपालन सेवा नियम 1963 के अन्तर्गत गठित रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान पशु पालन सेवा के निम्नांकित उप निदेशक को वर्ष 2012-13 से 2013-14 की रिक्तियों के विरुद्ध वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर संयुक्त निदेशक (सामान्य) के पद पर (वेतन बैंड 15600-39100 ग्रेड पे 7600/- में) पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम	वर्ग	वर्ष
1.	डा. रोशन लाल देव (सेवा निवृत्त)	अनुसूचित जाति	2012-13
2.	डा. प्रदीप प्रधान (सेवा निवृत्त)	सामान्य	2012-13
3.	डा. हरजी राम बारूपाल (सेवा निवृत्त)	अनुसूचित जाति	2013-14
4.	डा. सज्जन कुमार मलिक	सामान्य	2013-14
5.	डा. अशोक कुमार सिंह (सेवा निवृत्त)	सामान्य	2013-14
6.	डा. वीरेन्द्र कुमार (सेवा निवृत्त)	सामान्य	2013-14
7.	डा. उमेश चन्द्र अग्रवाल (सेवा निवृत्त)	सामान्य	2013-14

उपरोक्त पदोन्नति एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11308/2015 डा. गोविन्द राम चौहान बनाम राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन होगी।

उक्त पदोन्नत अधिकारियों में से क्र.सं. 4 में अंकित पदोन्नत अधिकारी का पदस्थापन आदेश अलग से जारी किया जा रहा है।

राज्यपाल की आज्ञा से,




(एन.एल.गुप्ता)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग राजस्थान, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग
5. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर
6. संबंधित अधिकारी द्वारा निदेशक, पशुपालन विभाग, राज., जयपुर
7. निजी/रक्षित पंजिका।



शासन उप सचिव